Report Piracy

of MADE EASY Books & Win Reward

Anti Piracy Cell

It is a criminal offence

MADE EASY Publications

MADE EASY
India's Best Institute for IES, GATE & PSUs

"MADE EASY content is protected by copyright, trademarks, and other intellectual property rights. Any unauthorized use, copy xerox, duplicacy, reproduction, circulation of the pirated content of MADE EASY books and/or classroom study material, postal course is strictly prohibited. If any person or party found involved shall be dealt legally in a suitable court of law. The study material is only meant for registered users for himself /herself and can not be resold by user."

Do You Know ?

- **Photocopying of books is a crime.**
  Yes, photocopying of books is a criminal offence. It may land you in trouble, even if it is not being done for commercial purpose(s). Keeping photocopied material in your possession is itself a crime and it may attract a sentence of **6 months in prison**.
- **Purchasing from illegal source or illegal transaction also comes under scanner.**
  Purchasing from illegal source or illegal transaction also violates copyright act and is a punishable offence.

  Example : If seller A is selling photocopied material and end user B is purchasing the material then both are liable to prosecute under copyright acts.
- **It is not transferrable.**
  These books are meant to be used by registered user only. It is not transferrable in any circumstances.

REPORT PIRACY
WIN REWARD

MADE EASY has a dedicated **ANTI PIRACY CELL** to act against the copyright violators. The anti piracy cell has conducted various checks and raids across the country and has taken severe legal actions, filing FIRs, people found guilty have been arrested by police and legal action is executed in various courts of law.

If you find any person(s)/party violating these above laws, kindly inform us :

You can mail us at : **legal@madeeasy.in** or **postalstudycourse@madeeasy.in**

Call us at: **011-45124645, 8860378007**

MADE EASY will reward you suitably and your identity will be kept confidential.

News published in various news papers about MADE EASY Anti Piracy drives

Anti Piracy Cell

Stop Piracy

It is a criminal offence

अमर उजाला | अपना आगरा

रविवार | आगरा 16 नवंबर 2014

कॉपीराइट एक्ट में दो बुकसेलर गिरफ्तार

राजामंडी पहुंची दिल्ली की टीम

03 | हिन्दुस्तान

धड़ल्ले से चल रहा पायरेटेड किताब का धंधा, दो गिरफ्तार

छापामारी

- जेल रोड में बजरंगी बुक सेंटर में छापेमारी, किताबें जब्त
- दुकान संचालक और कर्मचारी गिरफ्तार, भेजे जाएंगे जेल

News published in various news papers about MADE EASY Anti Piracy drives

Anti Piracy Cell
Stop Piracy

It is a criminal offence

आगरा • रविवार • 16 नवंबर 2014 **हिन्दुस्तान**

घटनाक्रम

राजामंडी में छापा, दो दुकानदार गिरफ्तार

आगरा। इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं के उपन्यास की फोटोकापी बेचने के आरोप में शनिवार को राजामंडी के दो दुकानदार फंस गए। दिल्ली की मेड ईजी पब्लिकेशन की शिकायत पर लोहामंडी पुलिस ने छापा मारा था। दिल्ली के पब्लिकेशन के अधिकारी भी पुलिस के साथ थे। कई दुकानों पर तलाशी ली गई। मानस बुक डिपो और गोविंद बुक डिपो की दुकान में प्रतियोगी परीक्षाओं के गैस पेपरों की फोटोकापी मिली, जो बेचना गैर कानूनी है। पुलिस ने बताया कि राजामंडी बाजार से अनूप कुमार और किशन सिंह को पकड़ा गया था। उनके खिलाफ कॉपी राइट एक्ट की धारा के तहत मुकदमा लिखा गया है।

पीएसी की क्रिकेट प्रतियोगिता 17 से

आगरा। अंतर वाहिनी पीएसी पश्चिमी जोन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन राजधानी में 17 नवंबर से किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 21 नवंबर तक चलेगी। मैच [illegible] स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे। ये जानकारी पीएसी के सेनानायक [illegible] ने दी।

कल्चरल एक्टिविटी का समापन

आगरा। [illegible] स्थित [illegible] स्कूल में शनिवार को सीनियर व जूनियर वर्ग के छात्र-छात्राओं द्वारा एक कल्चरल एक्टिविटी कार्यक्रम का समापन हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ [illegible] ने कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

बालूगंज में चार घरों में चोरी

दैनिक जागरण पटना, 28 अगस्त 2014

नकली किताबें बेचते तीन गिरफ्तार

• अली कंपनियों की नकली पुस्तकें बरामद

जागरण संवाददाता, पटना : पुलिस की विशेष टीम ने बुधवार को गांधी मैदान थाना क्षेत्र के उद्योग भवन के समीप अपना बाजार में तीन दुकानदारों को नकली [illegible] किताबें बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। उनकी दुकान से मेड इजी पब्लिकेशन की 186 व एस चांद एंड कंपनी की 79 नकली किताबें बरामद की गईं। [illegible] एस चांद एंड कंपनी के एंटी पैरेसी डिपार्टमेंट के बिहार-झारखंड अधिकारी संजीव राय ने [illegible] एसएसपी मनु महाराज [illegible] मुकेश (कुम्हरार), सुरेश प्रसाद (दीघापुर) व सत्रुघ्न पंडित (पश्चिमी लोहानीपुर) [illegible]

पटना

शासन-प्रशासन

नकली किताब के साथ 3 धराए

पटना। गांधी मैदान स्थित उद्योग भवन के पास अपना बाजार में नकली किताब बेचने वाले तीन दुकानदारों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया। इनके पास से लाखों की किताबें मिली हैं। दुकानदारों में मुकेश, सुरेश प्रसाद व सत्रुघ्न पंडित हैं। इनके पास से एस चांद एंड कंपनी की 79 और मेड इज पब्लिकेशन की 186 किताबें मिली हैं। एसएसपी मनु महाराज ने कहा कि कंपनी के एंटी पाइरेसी डिपार्टमेंट के कर्मी संजीव राय ने इस बाबत शिकायत की थी। इस आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। मौके से पांच लोग पकड़े गए। दो नाबालिग थे। तीनों दुकानदारों पर कॉपी राइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

दैनिक भास्कर पटना, गुरुवार, 28 अगस्त, 2014

नकली किताबों की सरेआम बिक्री, तीन लोग गिरफ्तार

एक कंपनी की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस

भास्कर न्यूज | पटना

गांधी मैदान इलाके में उद्योग भवन के पास फुटपाथ पर सरेआम नकली किताबों की बिक्री... एक पब्लिकेशन 'एस चांद एंड कंपनी' की शिकायत पर बुधवार को हरकत में आई पुलिस की छापेमारी में [illegible] मौके पर तीन दुकानदार रंगेहाथ पकड़े गए। उनके पास से [illegible] नकली किताबें [illegible] 'एस चांद एंड कंपनी' की 79 किताबें और 'मेड इज' पब्लिकेशन की 126 किताबें हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मुकेश कुमार (कुम्हरार), सुरेश प्रसाद (दीघापुर) और सत्रुघ्न पंडित (लोहानीपुर) शामिल हैं। इनके खिलाफ गांधी मैदान थाने में [illegible] कॉपी राइट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। [illegible]

पहले रेकी फिर छापेमारी : [illegible] एस चांद एंड कंपनी के एंटी पायरेसी सेल (बिहार-झारखंड) ने [illegible] नकली किताबों के काले कारोबार की जानकारी दी। [illegible]

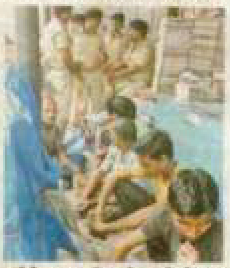

[illegible]

PATNA SAHIB

एस चांद एण्ड कंपनी की नकली किताबें पकड़ी गईं

> गांधी मैदान थाने के उद्योग भवन के पास हुई छापेमारी

> कंपनी की ओर से की गई थी शिकायत

patna@inext.co.in

PATNA: गांधी मैदान थाने की पुलिस ने उद्योग भवन के पास रेड कर भारी मात्रा में एस चांद एण्ड कंपनी और मेड इज पब्लिकेशन की नकली किताबें जब्त की हैं. इन किताबों के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें कुम्हरार का मुकेश, दीघापुर का सुरेश और पश्चिमी लोहानीपुर का सत्रुघ्न पंडित शामिल हैं. इन लोगों के पास से एस चांद एण्ड कंपनी की 79 किताबें और मेड इज पब्लिकेशन की 186 किताबें जब्त की गई. पुलिस को नकली किताब बिकने की शिकायत कंपनी के एक्जीक्यूटिव एंटी पायरेसी डिपार्टमेंट के संजीव राय ने की. इसके बाद ही कार्रवाई की गई है. इसकी जानकारी सीनियर एसपी मनु महाराज ने दी. [illegible] नकली किताबें बेचने का एक बड़ा बाजार बन चुके हैं कुछ लोग.

News published in various news papers about MADE EASY Anti Piracy drives

Anti Piracy Cell

Stop Piracy

It is a criminal offence

प्रदेश का खबरदार अखबार

रायपुर, 9 मई 2014, शुक्रवार

दिल्ली प्रकाशन की पुस्तकें अवैध रूप से बेचने वाले बुक डिपो संचालक के खिलाफ जुर्म दर्ज

कापीराइट एक्ट के तहत दूसरा मामला दर्ज हुआ

दैनिक भास्कर 13

दैनिक भास्कर

सस्ती बाजार में छापा, मिली प्रतियोगी परीक्षा की किताबें

दिल्ली की किताबें रायपुर में छापकर बेचने का खेल फूटा

क्यों किया जा रहा है खेल

रायपुर बड़ा सेंटर

आज

पटना, गुरुवार, २८ अगस्त, २०१४

ब्रांडेड कंपनी की नकली किताबें जब्त

News published in various news papers about MADE EASY Anti Piracy drives

Anti Piracy Cell

It is a criminal offence

News published in various news papers about MADE EASY Anti Piracy drives

Anti Piracy Cell

It is a criminal offence

News published in various news papers about MADE EASY Anti Piracy drives

Stop Piracy
Anti Piracy Cell

It is a criminal offence

News published in various news papers about MADE EASY Anti Piracy drives

Anti Piracy Cell

Stop Piracy

It is a criminal offence

आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार

दैनिक भास्कर

कुल पेज * 30/28 डीबी स्टार या DB POST के साथ , मूल्य ₹ 5.00 | वर्ष 71, अंक 180, महानगर

भोपाल, मंगलवार 15 नवंबर, 2016 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष- प्रतिपदा, 2073

बिजनेस प्ल

इंजीनियरिंग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता सुनिश्चित करने के लिए नकली पुस्तकों और नोट्स से बचना चाहिए: बी सिंह

भोपाल| इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किताबों के चयन के बारे में हमेशा बहुत उलझन रहती है। इस संबंध में कई संस्थान और लोग तरह-तरह के सुझाव देते हैं। लेकिन छात्रों को असली पब्लिकेशन की उन किताबों का ही चयन करना चाहिए, जिनसे आपको अपनी तैयारी बहुत सरल और अर्थपूर्ण लगे और आप सभी बुनियादी जानकारियों के बारे में जान चुके हों। यह कहते हैं आईईएस, गेट, पीएसयू आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले अग्रणी संस्थान मेड ईजी के सीएमडी और एक्स. आईईएस बी सिंह। वो हाल ही में राजधानी में मेड ईजी पब्लिकेशन की नकली पुस्तकें और नोट्स बेचने वालों पर पुलिस की कार्यवाही के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मेड ईजी संस्थान जो छात्रों को आईईएस, गेट एवं पीएसयू की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करावाने के साथ ही उत्कृष्ट शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाता है। मेड ईजी के सफलता को देखते हुए राजधानी के कुछ पुस्तक विक्रेताओं ने मेड ईजी पब्लिकेशन की नकली किताबें और नोट्स बेचने का कारोबार शुरू कर दिया था। संस्थान की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस एवं क्राइम ब्रांच द्वारा मोती मस्जिद क्षेत्र की तनवीर बुक्स, बुक प्वाइंट, स्टूडेंट बुक और ब्रिलियंट बुक पर छापामार कार्यवाही की गई। इस कार्यव ही में दुकान संचालकों पर धारा 63 कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही एमपी नगर थाना पुलिस ने जोन 2 में भी नोट्स बाजार के नाम से चल रही दुकान पर भी छापामार कार्यवाही कर कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

News published in various news papers about MADE EASY Anti Piracy drives

Anti Piracy Cell

It is a criminal offence

पृष्ठ 22+4+4 मूल्य 3.50 भोपाल रविवार, 13 नवंबर 2016 कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी संवत् 2073 patrika.com

पत्रिका sunday

गोरखधंधा

छह माह से बेच रहे थे मेड इजी की नकली किताबें

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. मेड इजी शिक्षण संस्थान की नकली किताबों को बेचने का गोरखधंधा छह महीने से जारी था। कॉपीराइट एक्ट में गिरफ्तार किए गए दुकानदारों ने पुलिस को बताया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में मेड इजी के पाठ्यक्रम की डिमांड ज्यादा है, ऐसे में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए पब्लिकेशन से किताबें खरीदने के बजाय नोट्स व पुस्तकों की फोटोकापी कराकर बेचते थे। तीनों दुकानदारों को जेल भेज दिया गया।

मेड इजी पब्लिकेशन की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने तीन दिन पहले छापा मारकर मोती मस्जिद क्षेत्र में तनवीर बुक्स प्वाइंट, स्टूडेंट बुक्स स्टोर और ब्रिलियंट बुक्स स्टोर से भारी मात्रा में नकली किताबें बरामद की थी। उक्त दुकानों से मेड इजी पब्लिकेशन के साथ-साथ चांद पब्लिकेशन तथा अन्य पब्लिकेशन की नकली किताबें मिली हैं। पूछताछ में कलीम अख्तर, परवेज शिराज व अनिवेश ने बताया कि मेड इजी की किताबों की फोटोकॉपी के बाद बाइंडिंग कराकर असली की कीमत के आधे पर बेचते थे। दुकानों से क्लास रूम नोट्स व क्लास रूम कवरेज भी बरामद हुए थे।

तीन दुकानदारों को 14 दिन की अभिरक्षा में भेजा जेल

कोतवाली पुलिस ने तीनों दुकानदारों को नकली किताबें एवं नोट्स बेचने के आरोप में कॉपीराइट एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। कोर्ट ने तीनों की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मेड इजी पब्लिकेशन की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस के साथ ही एमपी नगर पुलिस ने जोन 2 में भी नोट्स बाजार के नाम की दुकान पर छापा मारकर बडी मात्रा में नकली किताबें बरामद कर कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

www.rajexpress.in
सच कहने का साहस और सलीका
राज एक्सप्रेस
भोपाल
शुक्रवार 11 नवंबर 2016
(कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी, संवत 2073)
वर्ष 12 अंक 254, पृष्ठ 14+4=18, मूल्य ₹ 2.00
■ भोपाल ■ इंदौर ■ जबलपुर ■ ग्वालियर ■ रतलाम ■ रीवा ■ सतना ■ छिंदवाड़ा ■ उज्जैन ■ सागर

मेड इजी की नकली पुस्तकें बेचने वाले धराए

भारी मात्रा में नकली किताबें बरामद, आरोपी गिरफ्तार

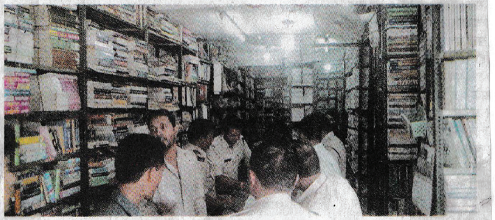

भोपाल। मेड इजी पब्लिकेशन की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस एवं क्राइम ब्रांच द्वारा मोती मस्जिद क्षेत्र की तनवीर बुक्स, बुक प्वाइंट, स्टूडेंट बुक और ब्रिलियंट बुक पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार छापामार कार्रवाई में दुकान संचालक कलीम अख्तर, परवेज, शिराज, अनिवेश पर मेड इजी पब्लिकेशन की नकली किताबें एवं नोट्स बेचने की धारा 63 कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की इस छापामार कार्रवाई में उक्त दुकानों से मेड इजी पब्लिकेशन के साथ ही चांद पब्लिकेशन एवं अन्य पब्लिकेशन की नकली किताबों का जखीरा बरामद किया गया है। एवं मेड इजी पब्लिकेशन की नकली किताबों के साथ क्लास रूम कवरेज (क्लास रूम नोट्स) भी बरामद किए गए हैं। मेड इजी पब्लिकेशन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उनके जमानत के आवेदन को अस्वीकार करते हुए उन्हे 14 दिनों की न्यायायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि मेड इजी पब्लिकेशन की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस के साथ ही एम पी नगर थाना पुलिस ने जोन 2 में भी नोट्स बाजार के नाम से चल रही दुकान पर छापामार कार्रवाई की एवं इस कार्रवाई में भी बडी मात्रा में नकली किताबें बरामद कर कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मान्यता प्राप्त पब्लिकेशन की किताबों की नकली कॉपियां एवं नकली नोट्स बनाकर बेचते थे।

News published in various news papers about MADE EASY Anti Piracy drives

Anti Piracy Cell

It is a criminal offence

जागरण Lake सिटी

दैनिक जागरण
11 नवंबर, 2016

मेड इजी पब्लिकेशन की नकली पुस्तकें और नोट्स बेचने वालों पर पुलिस का छापा

मेड इजी शिक्षण संस्थान जो आइइएस, गेट एवं पीएसयू की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाता है। मेड इज्जी के सफलता को देखते हुए राजधानी के कुछ पुस्तक विक्रेताओं ने मेड इजी पब्लिकेशन की नकली किताबें और नोट्स बेचने का कारोबार शुरू कर दिया था। मेड इजी पब्लिकेशन की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस एवं क्राइम ब्रांच द्वारा मोती मस्जिद क्षेत्र की तनवीर बुक्स, बुक प्वाइंट, स्टूडेंट बुक और ब्रिलियंट बुक पर छापामार कार्रवाई की गई। पब्लिकेशन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार छापामार कार्रवाई में दुकान संचालक कलीम अख्तर, परवेज, शिराज, अनिवेश पर मेड इजी पब्लिकेशन की नकली किताबें एवं नोट्स बेचने की धारा 63 कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की इस छापामार कार्रवाई में उक्त दुकानों से मेड इजी पब्लिकेशन के साथ ही चांद पब्लिकेशन एवं अन्य पब्लिकेशन की नकली किताबों का जखीरा बरामद किया गया है।

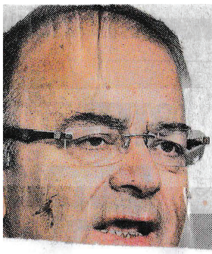

दैनिक दबंग दुनिया

निष्पक्ष नज़र, निष्पक्ष ख़बर

भोपाल, शुक्रवार, 11 नवंबर 2016

देश का सबसे चर्चित संपूर्ण हिन्दी अख़बार

मेड इजी की नकली पुस्तकें बेचने वालों पर छापा

भोपाल। मेड इजी शिक्षण संस्थान की सफलता को देखते हुए राजधानी के कुछ पुस्तक विक्रेताओं ने मेड इजी पब्लिकेशन की नकली किताबें और नोट्स बेचने का कारोबार शुरू कर दिया था। मेड इजी पब्लिकेशन की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस एवं क्राइम ब्रांच द्वारा मोती मस्जिद क्षेत्र की तनवीर बुक्स, बुक प्वाइंट, स्टूडेंट बुक और ब्रिलियंट बुक पर छापामार कार्रवाई की गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार छापामार कार्रवाई में दुकान संचालक कलीम अख्तर, परवेज, शिराज, अनिवेश पर मेड इजी पब्लिकेशन की नकली किताबें एवं नोट्स बेचने की धारा 63 कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस की इस छापामार कार्रवाई में उक्त दुकानों से मेड इजी पब्लिकेशन के साथ ही चांद पब्लिकेशन एवं अन्य पब्लिकेशन की नकली किताबों का जखीरा बरामद किया गया है। मेड इजी पब्लिकेशन की नकली किताबों के साथ क्लास रूम कवरेज क्लास रूम नोट्स भी बरामद किए गए हैं। मेड इजी पब्लिकेशन की शिकायत पर आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उनके जमानत के आवेदन को अस्वीकार करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

News published in various news papers about MADE EASY Anti Piracy drives

Anti Piracy Cell

It is a criminal offence

भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, कटनी, छिंदवाड़ा, छग, उप्र, महाराष्ट्र एवं नई दिल्ली से प्रकाशित
www.pradeshto
सांध्य दैनिक
प्रदेश टुडे
पूरा सच, बेहिचक
वर्ष: 7, अंक: 50, कुल पृष्ठ: 12, भोपाल, शुक्रवार, 11 नवंबर 2016
मूल्य: ₹ 2.00

नकली पुस्तकें, नोट्स बेचने वालों पर पुलिस का छापा

भोपाल। मेड इजी शिक्षण संस्थान जो देश के शिक्षण संस्थानों में अग्रणी है एवं जो छात्रों को आईइएस, गेट एवं पीएसयू की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने के साथ ही उत्कृष्ट शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाता है। मेड इजी के सफलता को देखते हुए भोपाल के कुछ पुस्तक विक्रेताओं ने मेड इजी पब्लिकेशन की नकली किताबें और नोट्स बेचने का कारोबार शुरू कर दिया था। पब्लिकेशन की शिकायत पर कोतवाली पुलिस एवं क्राइम ब्रांच द्वारा मोती मस्जिद क्षेत्र की तनवीर बुक्स, बुक प्वाइंट, स्टूडेंट बुक और ब्रिलियंट बुक पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई में दुकान संचालक कलीम अख्तर, परवेज, शिराज, अनिवेश पर मेड इजी पब्लिकेशन की नकली किताबें एवं नोट्स बेचने पर मामला दर्ज कर लिया।

स्थ पृथ्विजय प्रकाशन
राष्ट्रीय हिन्दी मेल
न दबाव, न भेदभाव
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और रायपुर से एक साथ प्रकाशित
21 अंक-17
भोपाल, शुक्रवार 11 नवंबर 2016
नगर संस्करण

मेड इजी की नकली पुस्तकें और नोट्स बेचने वालों पर पुलिस की कार्रवाई

भारी मात्रा में नकली किताबें बरामद, आरोपी गिरफ्तार

अपराध संवाददाता

भोपाल, 10 नवंबर। मेड इजी शिक्षण संस्थान जो देश के शिक्षण संस्थानों में अग्रणी है एवं जो छात्रों को आइइएस, गेट एवं पीएसयू की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करावाने के साथ ही उत्कृष्ट शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाता है। मेड इजी के सफलता को देखते हुए राजधानी के कुछ पुस्तक वि ताओं ने मेड इजी पब्लिकेशन की नकली किताबें और नोट्स बेचने का कारोबार शुरू कर दिया था।

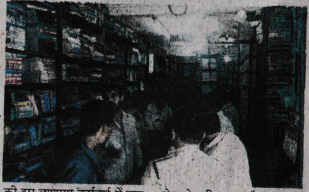

मेड इजी पब्लिकेशन की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस एवं क्राइम ब्रांच द्वारा मोती मस्जिद क्षेत्र की तनवीर बुक्स, बुक प्वाइंट, स्टूडेंट बुक और ब्रिलियंट बुक पर छापामार कार्रवाई की गई।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार छापामार कार्रवाई में दुकान संचालक कलीम अख्तर, परवेज, शिराज, अनिवेश पर मेड इजी पब्लिकेशन की नकली किताबें एवं नोट्स बेचने की धारा 63 कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की इस छापामार कार्रवाई में उक्त दुकानों से मेड इजी पब्लिकेशन के साथ ही चांद पब्लिकेशन एवं अन्य पब्लिकेशन की नकली किताबों का जखीरा बरामद किया गया है। एवं मेड इजी पब्लिकेशन की नकली किताबों के साथ क्लास रूम कवरेज (क्लास रूम नोट्स) भी बरामद किए गए हैं।

मेड इजी पब्लिकेशन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उनके जमानत के आवेदन को अस्वीरकार करते हुए उन्हे 14 दिनों की न्यायायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

गौरतलब है कि मेड इजी पब्लिकेशन की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस के साथ ही एम पी नगर थाना पुलिस ने जोन 2 में भी नोट्स बाजार के नाम से चल रही दुकान पर छापामार कार्रवाई की एवं इस कार्रवाई में भी बडी मात्रा में नकली किताबें बरामद कर कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मान्यता प्राप्त पब्लिकेशन की किताबों की नकली कॉपियां एवं नकली नोट्स बनाकर बेचते थे।

News published in various news papers about MADE EASY Anti Piracy drives

Anti Piracy Cell

It is a criminal offence

नई सोच, नया अंदाज

नवदुनिया

भोपाल (नवदुनिया), इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रायपुर, बिलासपुर और दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय संस्करण) से एकसाथ प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार 16 जून 2017

कॉपीराइट का मामला दर्ज

सिविल सर्विस की 800 की किताब सौ रु. में बेच रहे थे

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

पिपलानी पुलिस ने इंद्रपुरी स्थित साई एसोसिएट्स के संचालक के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट का केस रजिस्टर्ड कर लिया। पुलिस ने कंपनी के एंटी पायरेसी सेल की शिकायत पर यह कार्रवाई की। आरोपी सिविल सर्विस परीक्षा की आठ सौ रुपए की किताब को सौ रुपए में फोटोकॉपी कर बेच रहा था।

पुलिस को एस. चांद एंड कंपनी की एंटी पायरेसी सेल के हेड संजीव राघव ने शिकायत की थी। पिपलानी थाने गके एसआई एसकेएस चौहान के मुताबिक पुलिस टीम ने साई एसोसिएट्स पर छापा मारकर तीन हार्ड डिस्क, दो फोटो कॉपी मशीन, एक एलईडी, दो मॉनीटर, तीन प्रिंटर जब्त किए।

किताबों की फोटोकॉपी करता था साई एसोसिएट्स का संचालक

पुलिस ने दुकान संचालक रवि महेश्वरी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। मेड इजी की किताबों की फोटोकॉपी कर उन्हें कम दाम में बेचने का भोपाल का यह पहला मामला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस तरीके से काफी संख्या में किताबें बेची जा चुकी हैं।

GROW WITH

Absolute India

Home & Beyond

Bhopal, Friday, June 16, 2017

Police arrest bookseller under Copyright Act

Bhopal: Piplani police have arrested a shopkeeper under Copyright Act for selling the photocopies of guide books of popular coaching institute 'Made Easy'. Led by Piplani police station in-charge Brajesh Bhargava, a police team raided a shop Sai Associates at 74 Indrapuri Sector C and seized photocopy machines and the illegal photocopies of Made Easy books. Accused Mahesh Kumar Maheshwari has been arrested. Books published by Made easy are protected under the Copyright Act. Made Easy is the top coaching institute for engineering competitive exams like GATE, IES. Taking advantage of the popularity of the books of Made Easy, some people are reproducing the books through illegal means like photocopying. Police investigations are on.

News published in various news papers about MADE EASY Anti Piracy drives

Anti Piracy Cell

It is a criminal offence

पृष्ठ 24+4 मूल्य 2.50 भोपाल शुक्रवार. 16 जून 2017 आषाढ़ कृष्ण पक्ष सप्तमी संवत् 2074

पत्रिका

किताब की फोटो कॉपी बेचने वाले हिरासत में

भोपाल. गेट, आईईएस जैसी कठिन प्रतियोगी इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए देश के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट मेड इजी ने हजारों स्टूडेंट्स के भविष्य को संवारा है। स्टूडेंट्स की पहली पसंद बने मेड इजी की शोहरत का फायदा उठाकर गैरकानूनी कार्य करने वाले लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मेड इजी द्वारा स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण नोट्स की जिन बुक्स का प्रकाशन किया जाता है। इन बुक्स की फोटो कॉपी कर बेचने वाले दो शॉप कीपर्स के खिलाफ पिपलानी पुलिस ने कॉपी राइट एक्ट के तहत कार्रवाई कर हिरासत में लिया है। मेड इजी की बुक्स की फोटो कॉपी कर बेचने वाले आरोपी महेश कुमार माहेश्वरी को गिरफ्तार कर लिया है।

डाक पंजीयन म.प्र./भोपाल/4-233/2017-19

न दबाव, न भेदभाव

हिन्दी मेल

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और रायपुर से एक साथ प्रकाशित

rashtriyahindimail.com पृष्ठ-12 मूल्य ₹ 2.00 नगर संस्करण

मेड इजी की बुक्स की फोटो कॉपी कर बेचने वाले गिरफ्तार

भोपाल। राजधानी की मेड इजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की शोहरत का फायदा उठाकर अवैध तरीके से मेडइजी की बुक्स की फोटोकॉपी कर उन्हे बेचने के आरोप में पुलिस ने विक्रेताओं को गिरफ्तार किया है।

उल्लेखनीय है, कि मेड इजी द्वारा अपने छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नोट्स की जिन बुक्स का प्रकाशन किया जाता है, उन बुक्स की फोटो कॉपी कर बेचने वाले दो शॉपकीपर्स को पिपलानी पुलिस ने कॉपी राइट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। पिपलानी टीआई ब्रजेश भार्गव ने बताया कि सूचना के आधार पर इंद्रपुरी सी सेक्टर स्थित साई एसोसिएट्स के यहां छापा मारकर मशीनें जब्त की एवं गैरकानूनी रूप से मेड इजी की बुक्स की फोटो कॉपी कर बेचने वाले आरोपी महेश कुमार माहेश्वरी को गिरफ्तार किया गया है।

News published in various news papers about MADE EASY Anti Piracy drives

Anti Piracy Cell

It is a criminal offence

आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार

दैनिक भास्कर

कुल पेज * 36/34 डीबी स्टार या DB POST के साथ, मूल्य ₹ 5.00 (बाल भास्कर ऐच्छिक मूल्य ₹ 10.00) | वर्ष 72, अंक 30, महानगर

भोपाल, शुक्रवार 16 जून, 2017 आषाढ़ कृष्ण पक्ष- 7, 2074

₹100 में बिक रही थी 800 की किताब, मालिक पर कॉपी राइट एक्ट का केस

भोपाल|पिपलानी पुलिस ने इंद्रपुरी स्थित साई एसोसिएट्स के मालिक के खिलाफ कॉपी राइट एक्ट का केस दर्ज किया है। ये कार्रवाई कंपनी के एंटी पायरेसी सेल की शिकायत पर की गई। सिविल एग्जामिनेशन की बाजार में 800 रुपए में बिकने वाली किताब महज 100 रुपए में फोटो कॉपी कर बेची जा रही थी। एस चांद एंड कंपनी की एंटी पायरेसी सेल के हेड संजीव राव ने इस संबंध में पिपलानी पुलिस से शिकायत की थी। एसआई एसकेएस चौहान के मुताबिक इस आधार पर इंद्रपुरी सी-सेक्टर स्थित साई एसोसिएट्स पर छापा मारा। टीम ने यहां से तीन हार्ड डिस्क, दो फोटो कॉपी मशीन, एक एलईडी, दो मॉनिटर, तीन प्रिंटर जब्त किया। पुलिस ने दुकान मालिक रवि महेश्वरी को गिरफ्तार कर मुचलके पर रिहा किया।